प्रेस नोट दिनांक 06.07.2024 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना हथिगवां

पुलिस अधीक्षक डा0 अनिल कुमार का अपराध में संलिप्त अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति एक बार फिर से स्पष्ट हुई।

एसपी द्वारा संदिग्धों की चेकिंग के लिए दिये गये हैं सख्त निर्देश

ट्रैक्टर मालिक को धोखा देकर किराये का एग्रीमेंट बनबाकर, मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र लेकर कूटरचित विक्रय पत्र तैयार कर ट्रैक्टरों को धोखाधड़ी कर गैर जनपद में बेचने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पूरनेमऊ की तरफ शेखपुर आशिक के झाडियों के पास से 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से 02 महिन्द्रा ट्रैक्टर बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार द्वारा अपराध में संलिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नन्द लाल थाना हथिगवां के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान मय हमराह व उ0नि0 श्री राम प्रताप सिंह मय हमराह की 02 टीमों द्वारा दिनांक 05.07.2024 को टूवर नदी पुल डीहा के पास मौजूद रहकर मु0अ0सं0 128/24 धारा 406, 420 भादवि की विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पाकर थानाक्षेत्र हथिगवां के पूरनेमऊ की तरफ शेखपुर आशिक के पास से मु0अ0सं0 128/24 धारा 406, 420 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उमेश कुमार सरोज पुत्र कल्लू सरोज नि0ग्राम अन्नावां थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ तथा अभियुक्त नौशाद खान उर्फ राजू पुत्र हसीब खान नि0ग्राम माघीचैनगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतागपढ़ को 02 महिन्द्रा ट्रैक्टर , 01 मोबाइल फोन वीवो व 11 विक्रय पत्र फोटो प्रति बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 411, 465, 467, 468, 471 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ में गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनो ने मिलकर ट्रैक्टर मालिक को धोखा देकर किराये का एग्रीमेंट बनबाकर, मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र लेकर कूटरचित विक्रय पत्र तैयार कर ट्रैक्टरों को ले जा कर जनपद अमरोहा में व्यापारियों एवं किसानों को चोरी से बेच देते थे आज भी हम लोग इन दोनों ट्रैक्टरों को बेचने के लिए जनपद अमरोहा के लिए जा रहे थे। अभियुक्त नौशाद खान ने बताया कि मेरे पास मोबाइल में कूटरचित विक्रय पत्र की फोटो है जिसको हम लोग तैयार कराकर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर व्यापारियों को देते थे।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- आरोपीगण द्वारा जल निगम में पाइपलाइन हेतु कार्य करने के लिए 07 माह के लिए वादी मुकदमा का ट्रैक्टर किराया प्रतिमाह 20 हजार रुपये में एग्रीमेंट करा लेने तथा समय सीमा समाप्त होने पर ट्रैक्टर का किराया व ट्रैक्टर वादी को वापस ने करते हुए ट्रैक्टर को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देने पर/ धोखाधड़ी के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 128/24 धारा 406, 420 भादवि बनाम 02 नामजद अभियुक्त के पंजीकृत होकर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 श्री अंमित कुमार चैहान मय हमराह उ0नि0 श्री राम प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री विवेक पाण्डेय, मु0आरक्षी सत्येन्द्र सिंह, आरक्षी मानवेन्द्र सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।